## एक नजर

### मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम से 6 मोबाइल चोरी

इंदौर । एमआईजी इलाके में मोबाइल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम से 6 महंगे मोबाइल गायब हो गए। डिस्ट्रीब्यूटर ने जब ऑडिट किया तो चोरी का पता लगा मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। मामला एमआईजी थाना क्षेत्र के मालवीय नगर चौराहे का है। यहां सीपीआर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड नाम से फरियादी राजेश सोलंकी पिता रमेश सिंह सोलंकी निवासी कल्पना लोक कॉलोनी साकेत का मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूटर का कारोबार है। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले 7 महीने का ऑडिट उन्होंने किया। जिसमें कंपनी से आए मोबाइल और दुकानदारों को दिए गए मोबाइल के डाटा को चेक किया गया। इसमें एक आईफोन सहित 6 महंगे मोबाइल गायब मिले। यह मोबाइल किसी भी मोबाइल दुकानदार को नहीं दिए गए लेकिन गोदाम से भी गायब थे। उन्हें शंका है कि माल सप्लाई करने वाले कर्मचारियों ने ही कहीं गड़बड़ की है। फिलहाल पुलिस मामले की हड़ताल कर रही है।

### सरकारी स्कूल में नाबालिग बच्चों पर हमला

हम उम्र लड़कों ने सिर में मार दिया पेपर ब्लॉक

इंदौर । एमआईजी इलाके के एक सरकारी स्कूल में वही पढ़ने वाले बच्चों में खूनी संघर्ष हो गया। एक बच्चे को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एमआईजी पुलिस के अनुसार मालवीय नगर में रहने वाले 15 साल के बच्चे की शिकायत पर तीन लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त के साथ सरकारी स्कूल खजराना लिंक रोड पर प्राइवेट फॉर्म भरने गया था। वहीं पर आरोपी उसे मिले और पुराने विवाद को लेकर अपशब्द कहने लगे। पीड़ित बच्चे और उसके साथियों ने गालियां देने से मना किया तो आरोपियों ने हाथ मुक्को से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक ने सीमेंट का पेवर ब्लॉक उठाकर पीड़ित बच्चे के सिर पर मार दिया , जिससे वह लहूलूहान हो गया। आरोपी इसके बाद धमकाते हुए भाग निकले।

### नारकोटिक्स ऑफिस के सामने हमला

इंदौर । नारकोटिक्स दफ्तर में माली का काम कर निकले युवक पर ऑफिस के सामने ही जानलेवा हमला हुआ है। आरोपी पहले नारकोटिक्स दफ्तर के गेट पत्थर बरसा रहा था। पीड़ित ने उसे रोका तो उस पर कांच की बोतल से हमला कर दिया। लसूडिया थाने में फरियादी फुंदीलाल चौहान पिता प्रज्ञा सिंह निवासी सतवास जिला देवास की शिकायत पर आरोपी कैलाश भील के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। फरियादी फुंदी लाल ने पुलिस को बताया की स्कीम नंबर 78 स्थित नारकोटिक्स ऑफिस पर कल वह माली का काम करने के लिए गया था। काम करने के बाद निकल रहा था तभी आरोपी कैलाश ऑफिस के बाहर खड़ा होकर गेट पर पत्थर फेंक रहा था। फुंदीलाल ने उसे रोका और डांट कर वहां से रवाना करने की कोशिश की तो आरोपी वहां से आगे बढ़ा। जैसे ही फुंदीलाल ने सड़क पार की आरोपी कांच की बोतल उठा कर लाया और हमला कर दिया, उसने बोतल से फुंदी लाल के सिर, पैर और सीने पर घाव पहुंचाएं हैं।

### नीट की तैयारी कर रही स्टूडेंट से छेड़छाड़

इंदौर। पलासिया पुलिस ने नीट की छात्रा के साथ छेड़छाड़ किये जाने के मामले में उसके परिचित युवक पर केस दर्ज किया है। आरोपी ने छात्रा का जबरदस्ती हाथ पकड़ा और बात करने के लिये दबाव बनाया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। पलासिया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 19 साल की छात्रा की नीट की तैयारी कर रही है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने पृथ्वी पिता विजय चौहान निवासी ठीकरी बड़वानी पर केस दर्ज किया है। आरोपी इंदौर में पढ़ाई कर रहा है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह खरगोन की रहने वाली है। गीता भवन पर किराये से रहती है। पृथ्वी को पहले से जानती है। दोनों की मोबाइल पर बात होती थी। पृथ्वी ने एक बार प्रपोज किया तो छात्रा ने मोबाइल पर इनकार करते हुए बात करना बंद कर दी। पृथ्वी डेढ़ माह से कोचिंग के बाहर आकर बात करने के लिये दबाव बना रहा है। मना करने के बाद भी वह नहीं माना। गुरुवार को कोचिंग से घर जाते समय रास्ता रोककर अपशब्द कहे और हाथ पकड़ लिया। छात्रा चिल्लाई तो उसे सुनकर भाई मदद के लिये पहुंचा। लेकिन तब तक पृथ्वी वहां से भाग गया। इसके बाद परिवार को पूरी बात बताई। थाने जाकर पृथ्वी पर केस दर्ज कराया है।

# इंग्लिश कोचिंग टीचर छात्र से करती थी आपत्तिजनक चैटिंग

## खुदकुशी के मामले में केस दर्ज

**नगर प्रतिनिधि**

**इंदौर।** बीफार्मा के छात्र गौरव हाड़ा की आत्महत्या के मामले में बाणगंगा पुलिस ने शिक्षिका आकांक्षा और उसकी मां मीना के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने माना कि गौरव को आरोपित ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके विरुद्ध शिकायत कर रुपए ऐंठे थे। महिला थाना प्रभारी कौशल्या चौहान और एसआई गौरी तिवारी की जांच चल रही है।

भागीरथपुरा निवासी सब्जी व्यवसायी राजू हाड़ा के 19 वर्षीय पुत्र गौरव ने मंगलवार रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। स्वजन ने महिला थाने पर शव ले जाकर प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि नंदा नगर में इंग्लिश कोचिंग की संचालिका आकांक्षा कौरी गौरव को ब्लैकमेल कर रही थी।वह आपत्तिजनक चैटिंग करती थी। गौरव से रुपये ले चुकी थी। घटना के तीन दिन पूर्व महिला थाना में दुष्कर्म की शिकायत भी कर दी थी। टीआई और एसआई ने 45 हजार रुपये लेकर समझौता करवाया।राजू को ब्याज पर रुपये लेने पड़े। दुखी होकर गौरव ने फांसी लगा ली। गुरुवार को पुलिस ने स्वजन के कथन ले लिए। फोन और चैटिंग जब्त कर देर रात आकांक्षा और उसकी मां मीना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

### संबंध बनाने का दबाव बना रही थी शिक्षिका

स्वजन ने पुलिस को गौरव और आकांक्षा के बीच हुई चैटिंग के स्क्रीन शाट्स सौंपे है। उनका आरोप है कि आकांक्षा इंटरनेट मीडिया और फोन पर आपत्तिजनक बातें करती थी। वह संबंध बनाने का दबाव बनाती थी। गौरव हमेशा बचता था। उसने कहा था कि वह छात्र है और पढ़ना चाहता है। आकांक्षा से परेशान होकर गौरव ने नंबर ब्लाक किए तो वह झूठी शिकायत की धमकी देने लगी। उसने करीब 2 लाख रुपये भी ले लिए। 4 अगस्त को फ्रेंड्सशिप डे पर फोटो शेयर ने करने पर गौरव को धमकाया। मीना के साथ थाने आई और शिकायत कर दी। एसआई ने काल कर थाने बुलाया और गिरफ्तारी की धमकी दी।

# फ्लैट में लगी आग, कमरे में फंसे चार लोगों को बचाया

इंदौर । सांघी कॉलोनी स्थित एक मल्टी के चौथे माले पर फ्लैट में कल रात आग लग गई। आग इतनी भयावह थी अंदर सो रहे चार लोग फंस गए। उन्होंने जैसे तैसे विंडो से नीचे सड़क पर गुजर रहे लोगों से मदद मांगी। राहगीरों ने तुरंत ही दमकल विभाग और पुलिस व गार्ड को सूचना दी। इसके बाद आग में फंसे चारों लोगों को बचाया गया। आग से गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ओल्ड पलासिया सांघी कॉलोनी के श्रेयस दीप अपार्टमेंट के चौथे माले पर रिटायर्ड फार्मा कंपनी अफसर आशीष भारद्वाज रहते हैं। कल रात एक कमरे में आशीष अपनी पत्नी के साथ और दूसरे कमरे में उनकी बेटी व दामाद दीपक सो रहे थे। दामाद दीपक को रात को कुछ जलने की बदबू आई तो उन्होंने कमरा खोल कर देखा तो अंदर फ्लैट में आग लगी हुई थी। उन्होंने तुरंत आशीष भारद्वाज और उनकी पत्नी को भी जगाया। घर में फायर सेफ्टी सिस्टम भी लगा हुआ है, लेकिन आग इतनी तेजी से पूरे फ्लैट में फैली कि वह उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। चारों लोग फ्लैट के अंदर फंस गए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो उन्होंने फ्लैट की विंडो से जोर-जोर से चिल्लाना शुरू किय। नीचे सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने उनकी आवाज सुनी और मल्टी में से धुंआ निकलते देखा तो समझते देर ना लगी की परिवार आग में फंस गया है। तुरंत ही मल्टी के गार्ड 100 नंबर और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

# वाहन चुरा सुनसान जगह पर रख देते था छिपाकर

इंदौर। पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा एक शातिर वाहन चोर को पकड़ने में सफलता मिलीं है। हुकूमचंद मिल के पास परदेशीपूरा इन्दौर में धाने की टीम द्वारा संदिग्धों की चैकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसायकल के चालक को रोककर वाहन के दस्तावेज पूछने पर दस्तावेज होने से इंकार किया। नाम पता पूछने पर गिरराज माली उम्र 23 वर्ष निवासी माली मोहल्ला वार्ड क्रमांक 3 चाचोडा जिला गुना हाल निवासी महालक्ष्मीनगर इन्दौर के रूप में बताया। जिससे विस्तृत पूछताछ पर बताया कि उक्त पल्सर मोटरसायकल के अलावा दो अन्य मोटरसायकलें भी चुराई है जो नाले किनारे मेघदूत नगर इन्दौर में बेचने की फिराक में रखी हई हैं।

आरोपी गिरराज को मौके पर गिरफ्तार कर आरोपी की निशानदेही पर एक पल्सर मोटरसायकल तथा एक बजाज मोटरसायकल जप्त किया गया है। आरोपी शौंक पूरे करने के लिए देता था चोरी को अंजाम । जो वाहन का उपयोग नहीं होता था उसे छुपा देता था । आरोपी द्वारा गाड़ियों की नंबर प्लेट भी निकाल दी जाती थी ताकि वाहनों की पहचान ना हो पाए ।

# पत्नी से उठवाया 15 लाख का लोन ससुर का मकान गिरवी रख दिया

## इलेक्ट्रानिक शॉप डाली,धंधा बंद कर चला गया गांव

इंदौर। अन्नपूर्णा पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उसके पति और सास पर दहेज प्रताड़ना और पति द्वारा रुपए नहीं देने के मामले में केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि उसके पर्सनल लोन और पिता के मकान की मौर्टगेज्ड लोन की किश्तें उसे भरना पड़ रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इलाके में रहने वाली राधिका नाम की महिला अपने माता पिता के साथ थाने आई। उसने अपने पति कृष्णा बजाज और सास मधुबाला बजाज पर केस दर्ज कराया है। राधिका ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जुलाई 2018 में उसकी शादी सोनकछ में रहने वाले कृष्णा से हुई। वह इंदौर के मोती तबेला इलाके में रहने आ गए। शादी के 2 माह बाद पति ने कहां कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के काम को आगे बढ़ाना है। इसके लिये रूपए चाहिए। अपने माता पिता से रूपए की बात करो। पीड़िता ने इनकार कर दिया। सास ने कहां कि तुम्हें जेवर चोरी के केस में फंसा देगे। अगर यह बात परिवार को बताई तो ठीक नही होगा। इस दौरान शादी में दिए गए सारे जेवर सास ने अपने पास रखे। पति ने काफी दबाव बनाया। जिसमें क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन से करीब 15 लाख रूपए पति ने निकाले। इसके बाद पिता पदम के नाम से एक मकान पर 21 लाख का मौर्टगेज्ड लोन लिया। वह भी पति ने अपने पास रखा। इसके बाद नरेन्द्र तिवारी मार्ग अन्नपूर्णा रोड़ पर इलेक्ट्रानिक की दुकान डाली। जिसे बाद में बंद कर दिया। कुछ दिन पहले पति गांव चले गए। वह इंदौर में राधिका को लेने नही आए। पति से बात की तो उन्होंने बात नही की। इसके बाद कहां कि उन्हें ओर रूपए चाहिए। वह मानसिक रूप से काफी परेशान कर रहे है।

**ज़ाहिर सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती सीमा चौहान पति स्व. श्री सुरेन्द्र चौहान निवासी 07, एयरपोर्ट के सामने बाबु मुराई कालोनी, इंदौर (मप्र) की अस्वस्थता का लाभ उठाकर दिनांक 19/07/24 को श्रीमती सीमा पति श्री सोहन एवं सोहन पिता श्री बद्रीलाल चौहान, निवासी 300/7, बाबु मुराई कोलानी इंदौर द्वारा कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। मेरी पक्षकारा को बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि उनसे जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए वह दत्तक पुत्र के संबंध में है। यह कि मेरी पक्षकारा द्वारा किसी को दत्तक नही लिया गया है। उत्त संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मेरी पक्षाकरा द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**अधिवक्ता गोविंद सिंह राजपूत**
7, लायर्स चेंबर, उच्च न्यायालय परिसर,
इंदौर ✆ 96696 51783

**श्री देवगृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,देवगुराड़िया**
पंजीयन क्रमांक डी. आर./ आय. डी. आर. 453/17-09-1987

**सूचना**

संस्था के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था की वार्षिक साधारण सभा 08 सितम्बर 2024 रविवार को दोपहर 3 बजे श्री जगन्नाथ नारायण विश्रांती भवन टैगौर मार्ग छावनी इंदौर पर रखी गई है। सभी सदस्यों को साधारण डाक से सूचना पत्र भेजा गया है। यदि किसी को प्राप्त नही हुआ है तो इसे सूचना मान उपस्थित होने का कष्ट करें।

09.08.2024 अध्यक्ष

# जल्द अमीर बनने की चाह में करने लगा गांजे की तस्करी

इंदौर। हीरानगर पुलिस द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने वाले 1 बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

हीरानगर पुलिस के द्वारा संदिग्धो की चेंकिंग के दौरान एम.आर.-10 से संदेही के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की गयी एवं पंचानो के समक्ष गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (गांजा) लगभग 01 किलो 73 ग्राम एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त किया गया। आरोपी अभिषेक यादव उम्र 20 साल नि. नवांकुर स्कूल वाली गली थाना बाणगंगा जिला इंदौर से अवैध मादक पदार्थ के स्त्रोतो के संबंध मे भी विस्तृत से पूछताछ की जा रही है। जिससे अन्य आरोपियो के भी पकड़े जाने की संभावना है।आरोपी के पूर्व की आपराधिक गतिविधियों के संबंध मे भी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

### गौवंश से भरी गाड़ी पकड़ाई

इंदौर । गांधीनगर पुलिस ने गौवंश से भरी गाड़ी पकड़ी है। गाड़ी में सात गौवंश को वध के लिए ले जाया जा रहा था। मौमले में तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। गांधीनगर थाने में फरियादी सचिन प्रजापत पिता राम भरोसे निवासी गोम्मटगिरी की शिकायत पर आरोपी मदन चौहान पिता मांगीलाल निवासी अयोध्या कॉलोनी पलिया रोड हातोद, लखन पिता जगदीश निवासी तेजाजी चौक बागड़ी मोहल्ला हातोद और शिव पिता मुकेश पंवार को पकड़ा गया है। तीन आरोपियों को ग्राम रिंजलाई फाटा मोड़ के पास से पकड़ा गया है। वह एक टाटा एस गाड़ी में सात गौवंश को भरकर ले जा रहे थे। गौवंश को वध के लिए ले जाया जा रहा था।

### ट्राले ने ऐसी टक्कर मारी कि कार का फूट गया टायर

इन्दौर । तेजाजी नगर पुलिस को महादेव तोतला नगर निवासी सत्येन्द्र पिता धीरेन्द्र जैन ने शिकायत दर्ज करवाई कि जब वे वैष्ठलोद करताल फाटा से गुजर रहे थे तभी ट्राले के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर उनकी कार को टक्कर मारते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। ट्राला क्रमांक आरजे-१४ जीएन-७४९५ के चालक ने तेज गति से वाहन चलाते हुए फरियादी की कार को ऐसी टक्कर मार कि कार का टायर तक फूट गया। इधर राऊ पुलिस को फरियादी रोहित पिता कोमल राठौर निवासी महू ने शिकायत दर्ज करवाई कि डम्पर क्रमांक एमपी-०७ एचबी-६०३६ के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर फरियादी की मोटर सायकल को टक्कर मार दी जिससे वे गिर गए और चोटिल हो गए।

**पश्चिम रेलवे – दाहोद**

निविदा सूचना संख्या :
**M247_MECH_TENDER_24-25_07**
**दिनांक : 07.08.2024**

**कार्य का नाम :** वैगन पहियो के पुर्जो को खोलना, अलग करना, साफ करना व यान्त्रंतरण का कार्य । मात्रा : 15756 पहिया सेट। **कार्य पूर्ण करने की अवधि :** 12 माह के लिए, **कार्य की अंदाजित लागत : ₹ 30,08,278.30/-, बयाना राशि : ₹ 60,200.00/-, निविदा दस्तावेज़ शुल्क : ₹ 3000.00/-, निविदा देने व खोलने की दिनांक व समय :** दिनांक 06/09/2024 को 15:00 बजे तक जमा करना एवं उसी दिन 15:30 बजे को खोलना, **वेबसाईट का पता व स्थान :** वेबसाईट **www.ireps.gov.in**, मुख्य कारखाना प्रबंधक का कार्यालय, रोलिंग स्टाक कारखाना, पश्चिम रेलवे, परेल, फ्रीलेंड्गंज, दाहोद – 389160, **अनिवार्य एवं प्रासंगिक दस्तावेज़ :** निविदाकर्ता को अनिवार्य दस्तावेज जैसे Annexure-XVIII, Annexure-XIX, इत्यादि जमा करने होंगे और साथ ही निविदा दस्तावेज के Annexure-II के Bid form (Second Sheet) के Para 16 में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज़, जो स्पष्ट रूप से इस निविदा दस्तावेज़ में वर्णित फर्म के प्रकार को निर्दिष्ट करता है, अपनी निविदा के साथ जमा करने होंगे। अनिवार्य और प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत न करने पर उसकी/ उनकी ऑफर को अस्वीकार मानते हुए निरस्त किया जाएगा।

**कृते मुख्य कार्यशाला प्रबंधक**
ADM/17/1/176 **पश्चिम रेलवे, दाहोद**

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

# रिटायर्ड बैंक अफसर को किया था डिजीटल अरेस्ट,एक माह बाद एफआईआर

इंदौर। लसूड़िया पुलिस ने ईडी की रेड बताकर फर्जी तरीके से डिजीटल अरेस्ट कर रिटायर्ड बैंक अफसर के साथ 39.60 लाख की ठगी के मामले में केस दर्ज किया है। इस मामले में 5 अंकाउट नंबर के धारको को आरोपी बनाया गया है। जिसमें पुलिस और सायबर क्राइम की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राकेश कुमार गोयल निवासी महालक्ष्मी नगर की शिकायत पर पुलिस ने 5 अंकाउट धारको पर केस दर्ज किया है। राकेश कुमार गोयल 14 जुलाई को क्राइम ब्रांच पहुंचे थे। उन्होने अपनी शिकायत में बताया था कि वह डिप्टी बैक मैनेजर के पद से 2012 में रिटायर्ड हुए है। जिसमें 11 जुलाई 2024 को उनके मोबाइल कॉल आया। बात करने वाले ने कहां कि वह मुंबई के अंधेरी थाने से बोल रहा है। उन्होनें राकेश से कहां कि तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। वारंट मनी लाड्रिंग केस में है। यह कॉल ईडी आफिस में ट्रांसफर कर रहा हूं। इसके बाद ईडी आफिस में बात कराई गई। उसमें बताया कि आपकी आईडी से बैक अंकाउट खुला है। जिसमें 8 करोड़ 20 लाख की मनी लाड्रिग हुई है। उन्होनें स्काईप एप डाउनलोड कराया। जिस पर मुंबई पुलिस के नाम से लागिग कराया।स्काईप एप पर बाम्बे पुलिस की प्रेस कान्फ्रेस बताई। जिसमें दो व्यक्ति दिखाए गए। इसमें से बाद में एक व्यक्ति को सामने लाया गया। बताया गया कि इसके घर से चेंकिग में बैक पास बुक मिली है। जो आपके डाक्यूमेंट से खुला है। इसी अंकाउट में मनी लाड्रिंग हुई है।

इसके बाद बताया कि राकेश और आरोपी के बीच अनुबंध हुआ है। जिसमें इस रूपए के बदले राकेश को 82 लाख देगा वही आरोपी ने अंकाउट 12 लाख में किसी ओर को बेच दिया है। इसके बाद बात करने वाले ने बताया कि मनी लांड्रिग बच्चो के अंग बेचकर की जा रही है। इसके बाद गिरफ्तारी वारंट की फोटो स्काईप एप पर दिखाई गई। जिसमें राकेश डर गए। बात करने वाले ने बताया कि आपके ओर आपको परिवार के बैक अंकाउट और प्रॉप्रट्री की खोज की जा रही है। जिसे सीज किया जाएगा। राकेश ने इसके बाद उनसे अनुरोध किया उनका परिवार का खर्च कैसे चलेगा। इसके बाद बात करने वाले ने बताया कि इसके दो ही रास्ते है। पहला कि आपको गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया जाए। या फिर आपके अंकाउट से पता लगाया जाए कि पैसा कहां से आया है। इसमें डर के चलते अंकाउट चेक कराने की बात पर राजी हो गया।बात करने वाले ने राकेश को डराया और कहां कि यह बात पत्नी या परिवार दोस्तो में किसी को नही बताएगें। जिसमें जांच प्रभावित होने ओर मुश्किले बढ़ने की बात की गई।

**जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि हमारी पक्षकार श्रीमती जयश्री पति रीतेश वर्मा, निवासी 130-ए नई उमरिया कालोनी, तह-महू जिला इंदौर के द्वारा एक भवन ए-29, समर्थमार्क कालोनी, उमरिया, तह-महू का 20X60 फीट का विक्रय अनुबंध उसके स्वामी श्रीमती ममता पति श्री राजीव उपाध्याय निवासी 39, विकासनगर, ग्वालियर से क्रय करने का विक्रय अनुबंध किया है। यदि उक्त क्रय-विक्रय संव्यवहार के सबंध मे किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निकाय को कोई भी आपति हो तो इस जाहिर सूचना ते 07 दिवस के भीतर मय लेखी प्रमाण आपति मुझे मेरे पकार को प्रेषित करे। अन्यथा बाद मियाद कोई भी आपत्ति मान्य नही होगी व हमारे पक्षक्षार के द्वारा संबंधित विक्रेता को अवशेष क्रिय राशि अदा करेके विक्रयपत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करवा लिया जायेगा। तदर्थं सूचित हो।

**दिलीपकुमार दहिया**
**मो० नं० 98277 22735**
**कार्यालय एवं निवासः 15 कृष्णा नगर, डिग्री कॉलेज, गवली पलासिया, महू जिला, इन्दौर**

**पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल**

**संकेत एवं दूर संचार विभाग**
**ई–निविदा सूचना**

**निविदा संख्या : SandT-RTM-23-Tele-03R, दिनांक : 07.08.2024**

निम्न कार्य के लिए मंडल रेल प्रबंधक (एसएंडटी) पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से व उनके लिये E–निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

**कार्य का नाम :** रतलाम डिवीजन में दूरसंचार (बचा हुआ) कार्य के सम्बंध में – दाहोद कार्यशाला और संबद्ध स्वास्थ्य इकाई में एचएमआईएस (अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली) के कार्यान्वयन के लिए लैन/नेटवर्किंग उपकरण की खरीद/उन्नयन/स्थापना । **कार्य की अनुमानित लागत :** ₹ 21,51,564.23/- (रूपये इक्कीस लाख इक्यावन हजार पांच सौ चौसठ और तेईस पैसे मात्र), **निविदा फार्म का मूल्य :** शून्य, **बयाना राशिः** ₹ 43,000.00, **कार्य पूरा करने की अवधि :** छः (06) महीने, **E–निविदा जमा करने के लिये बंद करने का समय एवं दिनांक :** दिनांक 30.08.2024 समय 15:00 बजे तक, **E–निविदा खुलने का समय एवं दिनांक :** दिनांक 30.08.2024 समय 15:30 बजे के बाद, **वैधता :** निविदा खुलने की दिनांक से 60 दिन।

यह टेंडर **https://www.ireps.gov.in** वेबसाईट पर देखा जा सकता है। निविदाकार के पास Class-III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होने चाहिए और IREPS Portal पर पंजीकृत होना चाहिए। केवल पंजीकृत निविदाकार ही e-tendering में भाग ले सकते है। सभी सम्बंधित दस्तावेज e-tendering में भाग लेने के समय अपलोड करने होंगे।

**मंडल रेल प्रबंधक (संकेत व दूर संचार)**
ADM/6/1/175 **पश्चिम रेलवे, रतलाम**

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly

**Quest LABORATORIES LIMITED** **क्वेस्ट लैबौरेट्रीज लिमिटेड**
CIN : U24232MP1998PLC012850

**पंजीकृत कार्यालय : प्लाट नंबर 45, सेक्टर (तीन) पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, पीथमपुर - 454775 (धार) म.प्र. फोन : 07292-292374 फैक्स : 0731-292374**
**ईमेल: investors@questlabltd.com वेबसाईट: www.questlabltd.com**

**26वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग एवं बुक-क्लोजर की सूचना**

**वार्षिक आम बैठक (एजीएम) :** एतद्वारा सूचना दी जाती है कि क्वेस्ट लैबोरेट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की छब्बीसवी (26 वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार , 4 सितम्बर, 2024 को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो वीडियो साधनो के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उक्त एजीएम बुलाने के नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों के संपादन के लिए पंजीकृत कार्यालय प्लाट नंबर 45, सेक्टर–III, पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, पीथमपुर –454775, धार (म.प्र.) पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। साथ ही, सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 के साथ एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई–मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंस के पास पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 कंपनी की वेबसाइट **www.questlabltd.com** एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध होगी।

**बुकक्लोजर :** एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक 29 अगस्त 2024 से 04 सितम्बर 2024 ( दोनों दिन शामिल ) तक बंद रहेंगी।

**ई–वोटिंग :** कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रिमोट ई वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम बुलाने की सूचना में उल्लेखित सभी प्रस्तावों पर लेनदेन हो सकता है।। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तारीख यानी 28 अगस्त, 2024 को कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

i. एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किया जा सकता है
ii. रिमोट ई–वोटिंग 01 सितम्बर 2024, रविवार (सुबह 9 बजे आईएसटी) से शुरू होगी।
iii. रिमोट ई–वोटिंग 03 सितम्बर 2024, मगंलवार (शाम 5.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी।
vi. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि 28 अगस्त, 2024 है
v. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह **ivote@bigshareonline.com** या **investor@bigshareonline.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
vi. सदस्य ध्यान दें कि :
क) रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को बिगशेयर द्वारा 03 सितम्बर 2024, मगंलवार को शाम 5:00 आईएसटी, बजे के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा, और एक बार किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट डाले जाने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ख) बैठक में उपस्थित सदस्यों के लिए एजीएम में मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। तथा
घ) केवल वही व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया का उपयोग कर के या एजीएम में बैलेट पेपर का उपयोग करके मतदान करने का हकदार होगा।

यदि आपके पास ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप नीचे दिए गए व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं:
नाम : अनिल सबरवाल
पद : मैनेजिंग डायरेक्टर
पता : प्लाट नंबर 45, सेक्टर–III, पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, पीथमपुर–454775, धार (म.प्र.)
ई–मेल आईडी : investors@questlabltd.com फोन : 07292–292374

**क्वेस्ट लैबोरेट्रीज लिमिटेड के लिए**
**हस्ते**
**अनिल सबरवाल**
मैनेजिंग डायरेक्टर
डीन – 00646133

**दिनांक :** 09-08-2024
**स्थान :** पीथमपुर, धार

C/o/n/v/e/y-Ad